5 रु. भारत पाँच रुपये INDIA FIVE RUPEES Rs.5 CANCELLED

1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म.प्र.) केम्प-जबलपुर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र0 निगरानी-5900/2018/मंडला/शून्य संस्थित दि. ....

698

1. मोती लाल पिता अच्छेलाल गौंड़ (मृत वारसान)
अ. गोरीबाई पति स्व.मोती लाल गौंड़, उम्र 48 वर्ष,
ब. पार्वतीबाई पति स्व.मोती लाल गौड़, उम्र 41 वर्ष,
स. हंसराज पिता स्व.मोती लाल गौंड़, उम्र 24 वर्ष,
द. गोपाल पिता स्व.मोती लाल गौड़ उम्र 12 वर्ष,
(नाबालिग बली माँ पार्वती बाई)
इ. राधा बाई पिता स्व.मोती लाल गौड़, उम्र 24 वर्ष,
सभी साकिन गाम झुरकी, तहसील निवास, जिला मंडला।
ई. कृष्ण बाई पति नरेश गौंड़ उम्र 21 वर्ष,
निवासी मलहरी तहसील निवास जिला मण्डला।
2. डुमारी पिता अच्छेलाल गौंड़।
3. पंचम सिंह पिता रम्मी गौंड।
4. सुक्कू पिता रम्मी गौंड़।
5. उमराव पिता रम्मी गौंड़।
सभी निवासी ग्राम झुरकी, तहसील निवास,
जिला मण्डला।

................पुनरीक्षणकर्तागण / अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. जगौती बाई पिता पतिराम गौंड़ (पति सुखुआ)
2. सोन सिंह पिता सुखुआ गौंड़ (मृत वारसान)
2अ. शांति बाई पति स्व. सोन सिंह
2ब. कृष्ण कुमार आ. सोन सिंह
2स. बलराम उर्फ घनश्याम आ. सोनसिंह
दोनो नाबालिग बली माँ शांति बाई पति स्व.सोनसिंह गौड़
3. ओमकार पिता सुखुवा (मृत वारसान)
3अ. श्रीमति सखिया बाई पति ओमकार गौंड़

R-5900/2018 जिला- होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
3/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 699/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–8–18 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता के सम्बन्ध में आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, जबलपुर का आदेश दिनांक 27–8–18 को पारित हुआ है तथा उनके व्दारा 24–9–18 को निगरानी प्रस्तुत की गई है इसलिये निगरानी सुनवाई योग्य है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के क्रम में म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 (2) (ख) के अवलोकन पर स्थिति इस प्रकार है– धारा 50 (2) – पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन – (2) (ख) – द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्व । – ग्रहण नहीं किया जायेगा। विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार ने आदेश दिनांक 4–9–17 से नामांत्रण के आदेश दिये है जिसके विरूद्व अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी मंडला ने आदेश दिनांक 23–1–18 पारित किया है । प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व द्वित्तीय अपील में अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक आदेश दिनांक 27–8–18 पारित किया है। नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप द्वित्तीय अपील में पारित आदेश के विरूद्व विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में प्रचलन–योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	

शाक्षेगुग्वा—181—फॉर्म्स—29-8-16-30,000 प्रपत्र.